



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1932 (श०)

(सं० पटना 236) पटना, बुधवार, 7 अप्रैल 2010

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 मार्च 2010

स० वि०स०वि०-21/2010-1138/वि०स०।—“बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2010” जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)

सचिव,

बिहार विधान-सभा।

[वि०स०वि०-7/2010]

बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2010

प्रस्तावना:-जबकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत विशेष सुरक्षा दल मुहैया करायी जाती है।

जबकि उग्रवादियों एवं आतंकवादी संगठनों से अनुभूत खतरों को ध्यानगत रखते हुए यह उचित समझा गया है कि मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाय।

अतएव बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) में संशोधन आवश्यक हो गया है।

भारत गणराज्य के इक्सटर्वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम, बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-4 का संशोधन। बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2000 की धारा-4 में
 (i) उप-धारा-(2) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—
 “(2) विशेष सुरक्षा दल आसन्न सुरक्षा प्रदान करेगा—
 (क) मुख्य मंत्री।
 (ख) मुख्य मंत्री के अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों।
 (ग) पूर्व मुख्य मंत्रियों को पद त्याग की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए।
 परंतु पूर्व मुख्यमंत्री पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति के पश्चात् उचित सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके आवास एवं राज्य के अन्तर्गत यात्रा भ्रमण के दौरान, बुलेटप्रूफ वाहन इत्यादि के पात्र होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार अथवा इस संबंध में कोई आदेश निर्गत किया जायेगा।
 परंतु यह और कि पदावधि को ध्यान में रखे बिना पूर्व मुख्य मंत्रीगण पटना शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत सुरक्षित क्षेत्र में निःशुल्क सरकारी आवास के पात्र भी होंगे।”
 (ii) एक नई उप-धारा-(3) को निम्नलिखित रूप से अंतःस्थापित किया जायेगा तथा विद्यमान उप-धारा (3) एवं (4) उप-धारा (4) एवं (5) के रूप में क्रमांकित किया जायेगा—
 “(3) यदि कोई पूर्व मुख्य मंत्री के अंतरंग पारिवारिक सदस्य भी पूर्व मुख्य मंत्री रहे हों तो उप-धारा (2) की आवासीय एवं आवासीय सुरक्षा गार्ड प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को दोहराया नहीं जा सकेगा।”

वित्तीय संलेख

मुख्य मंत्री, भूतपूर्व मुख्य मंत्री एवं उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जो, व्यवस्था है उसको औपचारिक रूप देकर एक अलग सुरक्षा दल के रूप में पुलिस महानिदेशक के अन्तर्गत विशेष सुरक्षा दल सुसंगठित करने के निमित्त बनाए गए।

बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2010 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु वेतन, ईंधन, यात्रा एवं अन्य मदों में व्यय पर कुल 341.54 लाख (तीन करोड़ इकतालीस लाख चौवन हजार) रूपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है।

(नीतीश कुमार)

भार साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ एवं अक्षुण्ण रखने के लिए विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) की धारा—4 में, राज्य में उग्रवादी एवं संगठित अपराधिक गिरोहों की गतिविधियों को ध्यानगत रखते हुए, संशोधन की आवश्यकता समझी गयी है। तदनुसार इस संशोधन विधेयक में आवश्यक प्रावधान किया गया है, जिन्हें अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)

भार साधक सदस्य।

पटना:

दिनांक 30 मार्च, 2010

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सचिव,

बिहार विधान—सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 236-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>